उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

महोबा पुलिस

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:– 17.01.2026

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

- आज दिनांकः -17.01.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा जनपदवासियों की समस्याओं के निस्तारण एवं त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई आयोजित की गयी।
- जनसुनवाई के दौरान पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा प्राप्त शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए प्रत्येक फरियादी को निष्पक्ष व गुणवत्तापूर्ण समाधान का आश्वासन दिया गया। उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी शिकायतों का निस्तारण समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से किया जाए ताकि आमजन का पुलिस पर विश्वास और अधिक मजबूत हो।
- जनसुनवाई के दौरान पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा मिशन शक्ति अभियान 5.0 के तहत महिलाओं को सशक्त बनाने एवं उन्हें सुरक्षित वातावरण प्रदान किये जाने के उद्देश्य से उपस्थित महिला फरियादियों से संवाद कर उनको जागरूक करते हुए महिलाओं को उनकी सुरक्षा, अधिकारों एवं शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया के संबंध में जानकारी दी गई तथा उन्हें निडर होकर अपनी बात रखने हेतु प्रेरित किया गया।
- पुलिस अधीक्षक महोबा ने कहा कि जनपद महोबा पुलिस आमजन की सुरक्षा, न्याय एवं सेवा के लिए पूर्णतः समर्पित है।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक:– 17.01.2026

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

मिशन शक्ति 5.0 : नारी सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन को लेकर महोबा पुलिस का सशक्त जागरुकता अभियान...

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के कुशल निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह के निकट पर्यवेक्षण में “मिशन शक्ति अभियान फेज-5” के अन्तर्गत आज दिनांक- 17.01.2026 को जनपद महोबा में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण एवं विश्वास का वातावरण सुदृढ़ करने के उद्देश्य से व्यापक जागरूकता अभियान चलाया गया।

“मिशन शक्ति 5.0” अभियान के अन्तर्गत जनपद के समस्त थानों द्वारा प्रमुख बाजारों, कस्बों, चौराहों, धार्मिक स्थलों एवं अन्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थानों पर महिला पुलिस कर्मियों की सक्रिय सहभागिता से महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों, सरकारी कल्याणकारी योजनाओं तथा सुरक्षा संबंधी संसाधनों की जानकारी प्रदान की गई।

अभियान के दौरान विभिन्न विभागों की योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई आर्थिक सहायता योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, पीएम सम्मान निधि योजना, वन स्टॉप सेंटर, आयुष्मान योजना, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना, महिला शक्ति केंद्र योजना, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना आदि की जानकारी पंपलेट के माध्यम से दी गई।

महिलाओं को पुलिस विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों जैसे वीमेन पावर लाइन-1090, पुलिस आपातकालीन सेवा-112, सीएम हेल्पलाइन-1076, स्वास्थ्य सेवा-102, एम्बुलेंस सेवा-108, महिला हेल्पलाइन-181, साइबर क्राइम हेल्पलाइन-1930 आदि के बारे में भी विस्तार से अवगत कराया गया।

महोबा पुलिस द्वारा चलाया गया यह अभियान महिलाओं में सुरक्षा का भरोसा, आत्मनिर्भरता की सोच और सम्मान का भाव विकसित करने की दिशा में एक सशक्त पहल है।

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक:- 17.01.2026

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना महोबकंठ की पुलिस टीम ने 01 नफर वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम हेतु आपराधिक घटनाओं में संलिप्त वांछित एवं वारण्टी अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 17.01.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री रविकांत गोंड के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना महोबकंठ श्री विनोद कुमार द्वारा गठित व0उ0नि0 कन्हैयालाल मय हमराह हे0कां0 राहुल कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 07/2026 धारा 78(2)/333 बीएनएस व 7/8 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित 01 नफर वांछित अभियुक्त प्रशान्त राजपूत पुत्र देवकरन राजपूत उम्र करीब 21 वर्ष निवासी ग्राम रिवई थाना महोबकंठ जनपद महोबा को ग्राम रिवई के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम-

1.वरि0उ0नि0 कन्हैयालाल

2.हे0का0 राहुल कुमार

गिरफ्तार अभियुक्त-

प्रशान्त राजपूत पुत्र देवकरन राजपूत उम्र करीब 21 वर्ष निवासी ग्राम रिवई थाना महोबकंठ जनपद महोबा

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांकः– 17.01.2026

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना अजनर की पुलिस टीम ने सार्वजनिक स्थान पर हार-जीत की बाजी लगा जुआ खेल रहे 04 नफर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु जनपद में संचालित अवैध जुआ/सट्टा पर प्रभावी रोक एवं ऐसे क्रियाकलापों में शामिल अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में दिनांक- 16.01.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़, श्री रविकांत गोंड के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष अजनर श्री सुभाष चन्द्र द्वारा गठित उ0नि0 आकाश मौर्य मय हमराह कां0 जयप्रकाश यादव, कां0 सौरभ सिंह, कां0 नरेन्द्र कुमार व कां0 अमर द्विवेदी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने सार्वजनिक स्थान ग्राम बिजौरी के पास रुपये पैसो से हार जीत की बाजी लगाकर ताश पत्तो से जुंआ खेलते हुये 04 नफर अभियुक्तगण क्रमशः 1.रघुवीर अहिरवार पुत्र रमेश उम्र करीब 26 वर्ष निवासी ग्राम बिजौरी थाना अजनर जनपद महोबा 2.रोशन सिंह राजपूत पुत्र स्व0 रामनारायन राजपूत उम्र करीब 35 वर्ष निवासी ग्राम बिजौरी अजनर जनपद महोबा 3.हृदेश अहिरवार पुत्र जालम उम्र करीब 19 वर्ष निवासी ग्राम बिजौरी थाना अजनर जनपद महोबा 4.मकुन्दीलाल राजपूत पुत्र लालचन्द उम्र करीब 48 वर्ष निवासी ग्राम सगुनियामाफ थाना अजनर जनपद महोबा को नियमानुसार पुलिस हिरासत में लिया गया। जिनके कब्जे से मालफड़ 9360 रुपये, जामातलाशी 4540 रूपये व 52 अदद ताशपत्ता बरामद हुए। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 12/2026 धारा 13 जुआ अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सम्पादित की गई।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 आकाश मौर्य
2.कां0 नरेन्द्र कुमार 3.कां0 सौरभ सिंह
4.कां0 जयप्रकाश यादव 5.कां0 अमर द्विवेदी

गिरफ्तार अभियुक्तगण -

1.रघुवीर अहिरवार पुत्र रमेश उम्र करीब 26 वर्ष निवासी ग्राम बिजौरी थाना अजनर जनपद महोबा
2.रोशन सिंह राजपूत पुत्र स्व0 रामनारायन राजपूत उम्र करीब 35 वर्ष निवासी ग्राम बिजौरी अजनर जनपद महोबा
3.हृदेश अहिरवार पुत्र जालम उम्र करीब 19 वर्ष निवासी ग्राम बिजौरी थाना अजनर जनपद महोबा
4.मकुन्दीलाल राजपूत पुत्र लालचन्द उम्र करीब 48 वर्ष निवासी ग्राम सगुनियामाफ थाना अजनर जनपद महोबा

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांकः– 17.01.2026

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

मिशन शक्ति 5.0 के तहत महोबा पुलिस की प्रभावी व सतत कार्रवाई
बाल श्रम/मानव तस्करी रोकथाम हेतु औचक ड्राइव,
03 नाबालिग बालश्रम से मुक्त – कोतवाली नगर क्षेत्र में सघन चेकिंग

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के आदेशानुसार, अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह (नोडल अधिकारी) महोबा के कुशल निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी महोदय कार्यालय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद महोबा में महिला एवं बच्चों की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वालम्बन सुनिश्चित करने हेतु मिशन शक्ति 5.0 अभियान के अंतर्गत बाल विवाह/रक्षा अभियान के तहत एक औचक सघन अभियान संचालित किया गया।

उक्त अभियान में थाना एएचटीयू महोबा प्र0नि0 श्री अवधेश कुमार मिश्र के नेतृत्व में, मय हमराह उ0नि0 फूलचन्द्र मिश्र व म0कां0 कविता देवी के साथ श्री दीपक कुमार (कोऑर्डिनेटर, चाइल्ड लाइन महोबा), श्रीमती क्षमा (प्रभारी, वन स्टॉप सेंटर महोबा), श्री महन्त प्रजापति (श्रम प्रवर्तन अधिकारी, महोबा), सुश्री संगीता राजपूत (जिला बाल संरक्षण इकाई, महोबा) एवं श्रीमती मधुबाला चौरसिया (बाल कल्याण समिति, महोबा) की संयुक्त टीम द्वारा अभियान संचालित किया गया।

अभियान के प्रथम चरण में विभिन्न दुकानों, वर्कशॉपों व गैराजों पर चेकिंग के दौरान 03 नाबालिग बालक बालश्रम करते हुए पाए गए, जिन्हें संयुक्त टीम द्वारा रेस्क्यू कर सुरक्षित रूप से उनके परिजनों को सुपुर्द किया गया। प्रकरण में श्रम प्रवर्तन अधिकारी महोबा द्वारा संबंधित वर्कशॉप/दुकान मालिकों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही अमल में लाई गई।

इसी क्रम में थाना क्षेत्र कोतवाली नगर, जनपद महोबा में पड़ने वाले होटल, ढाबे, दुकानें, वर्कशॉप, गैराज एवं अन्य संदिग्ध स्थानों पर मानव तस्करी/अनैतिक देह व्यापार, बाल श्रम/बाल बंधुआ मजदूरी, बाल भिक्षावृत्ति एवं बाल विवाह की रोकथाम हेतु सघन चेकिंग की गई।

इस दौरान सिटी कार्ट मॉल, कान्हा रेस्टोरेंट, शिव रेस्टोरेंट एवं शिव ताण्डव पार्क, कोतवाली नगर महोबा आदि स्थानों पर जांच की गई, जहाँ कोई भी नाबालिग बालश्रम करते हुए नहीं पाया गया तथा किसी भी असुरक्षित/असहाय महिला या बच्चे का होना नहीं पाया गया।

अभियान के दौरान एएचटीयू टीम द्वारा दुकानों, वर्कशॉप, गैराज, मॉल व मार्ट संचालकों को कड़ी हिदायत दी गई कि नाबालिग बालक/बालिका से कार्य कराना दंडनीय अपराध है तथा यौन शोषण, जबरन श्रम, जबरन विवाह, बाल भिक्षावृत्ति आदि के लिए महिलाओं एवं बच्चों की तस्करी करना कानूनन गंभीर अपराध है।

साथ ही आमजन को मानव तस्करी, बाल विवाह, बाल श्रम एवं बाल भिक्षावृत्ति की रोकथाम के संबंध में जागरूक करते हुए आपातकालीन सहायता हेतु शासन द्वारा जारी टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1090, 1098, 108, 112, 1076, 181 आदि की जानकारी प्रदान की गई।

महोबा पुलिस महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु पूर्णतः प्रतिबद्ध है। मिशन शक्ति 5.0 अभियान के अंतर्गत ऐसे सघन एवं प्रभावी अभियान भविष्य में भी निरंतर जारी रहेंगे।